19/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018
ग्राम पंचायत. भिनाय.. दिनांक. 19.6.18

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप.। ~~सरकार~~ पैरोकार सरकार उप.। प्रतिवादी ~~स~~ गणों ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने प्रश्नगत आराजी जोकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी आराजीयात है; जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया जोकि विधि विरुद्ध है। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में एक अधिकार रखते है। वादी गण द्वारा विधिक बटवारा कराए जाने पर ही यह निश्चित हो सकता है, कि किस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहनलाल वा॰ लादूवगै॰ 5/2/2011	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार को भिन्न खसरा भूमि मे एक हक एवं अधिकार निहित है। अत: उक्त प्रस्तुत वाद विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। परिवादी सरकार ने जवाब पेश प्रस्तुत कर वाद ग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी होना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति मे प्रति वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना अनुचित ठहराया। बैंच सदस्यों द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो प्रतिवादीगण एवं अन्य खातेदार व वादीगण की संयुक्त अविभाजित आराजी होना पाया गया। ऐसी स्थिति मे बैंच सदस्यों द्वारा उक्त प्रकरण आनुतोषयोग्य न होने से खारिज किये जाने का निर्णय लिया। अत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद खारिज किया जाकर विरुद्ध वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। ~~ब्यानुसार~~ पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	अध्यक्ष लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	

Scanned with CamScanner